कटी पतंग, मेरा गाँव मेरा देश और लव इन टोक्यो जैसी यादगार फिल्मों की सुप्रसिद्ध अदाकारा एवं हिंदी फिल्मों की अपने समय की महान अभिनेत्री आशा पारेख को वर्ष 2020 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 30 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में आशा पारेख को यह पुरस्कार देंगी। दादासाहेब फाल्के पुरस्कार के निर्णायक मंडल के इस निर्णय की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को कहा, "यह घोषणा करते हुए मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ कि, जूरी सदस्यों ने आशा पारेख जी को भारतीय सिनेमा में उनके अनुकरणीय जीवन भर के योगदान के लिए मान्यता और पुरस्कार देने का निर्णय लिया है।" आशा पारेख ने फिल्मों में अभिनय के अलावा निर्देशक और निर्माता की भूमिका में भी भारतीय सिनेमा को समृद्ध किया। उन्होंने सिनेमा और नृत्यकला प्रेमियों के मन पर एक कुशल भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना के रूप में भी अपनी अमिट छाप डाली है। एक बाल कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू करते हुए उन्होंने फिल्म दिल देके देखो से मुख्य नायिका के रूप में काम करना शुरू किया और 95 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। तीसरी मंजिल, आया सावन झूम के, आन मिलो सजना, मेरा गांव मेरा देश जैसी मशहूर फिल्मों में उनके यादगार अभिनय को बहुत पसंद किया गया। आशा भोंसले, हेमा मालिनी, पूनम ढिल्लों, टी. एस. नागभरण, उदित नारायण पांच सदस्यीय जूरी में शामिल थे। आशा पारेख को 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 1998-2001 तक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के प्रमुख के रूप में भी काम किया है।

सौम्या गुर्जर, जयपुर ग्रेटर महापौर और पार्षद पद से बर्खास्त

भाजपा की वरिष्ठ पार्षद शील धाबाई कार्यवाहक महापौर नियुक्त

- राज्य सरकार ने सौम्या गुर्जर पर 6 साल तक निकाय चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी लगाई।
- नगर निगम के पूर्व आयुक्त यज्ञमित्र सिंह के बदसलूकी मामले में न्यायिक जांच के आधार पर राज्य सरकार ने यह कार्रवाई की।
- इससे पहले सरकार मामले के तीनों आरोपी पार्षदों को भी बर्खास्त कर, उनके निकाय चुनाव लड़ने पर 6 साल की रोक लगा चुकी है।

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर, 27 सितम्बर । राज्य सरकार ने मंगलवार को आदेश जारी कर सौम्या गुर्जर को जयपुर ग्रेटर नगर निगम के महापौर और वार्ड 87 के पार्षद पद से बर्खास्त किया है, साथ ही उनकी नगर निगम की सदस्यता को खत्म करते हुए 6 साल तक निकाय चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। पूर्व आयुक्त यज्ञ मित्र सिंह देव के साथ बदसलूकी मामले में न्यायिक जांच की रिपोर्ट और 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट से मिले आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई है। सौम्या गुर्जर के पास अब केवल हाईकोर्ट जाने का विकल्प बचा है। उधर पूरे मामले में सौम्या गुर्जर ने कहा है कि संघर्ष मेरा जीवन है और मैं संघर्ष करती रहूंगी। उधर मंगलवार देर शाम राज्य सरकार ने एक और आदेश जारी कर भाजपा की वरिष्ठ पार्षद शील धाभाई को पुन: कार्यवाहक महापौर का जिम्मा सौंपा है।

ज्ञात रहे कि इससे पहले पिछले साल जून में भी गहलोत सरकार ने सौम्या गुर्जर को महापौर पद से हटाया था और उनकी जगह शील धाभाई को कार्यवाहक महापौर बनाया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलने के बाद फरवरी-2022 में सौम्या गुर्जर वापस महापौर की कुर्सी पर काबिज हुई थी। इसके बाद सरकार ने पूर्व निगम आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव के साथ बदसलूकी मामले की जांच पूरी करवाई और इसी को आधार बनाते हुए महापौर सौम्या को बर्खास्त किया गया है। इससे पहले सरकार ने तीन पार्षदों अजय सिंह चौहान, पारस जैन और शंकर शर्मा को भी बर्खास्त करते हुए 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। इन्हें भी कमिश्नर के साथ बदसलूकी मामले में दोषी माना गया है।

ज्ञात रहे कि 4 जून 2021 को ग्रेटर मुख्यालय पर महापौर सौम्या गुर्जर और अन्य पार्षदों की तत्कालीन आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव के साथ बहस हुई। कमिश्नर से आरोप लगाया कि वे बैठक छोड़कर जाने लगे तो तीन पार्षदों अजय सिंह चौहान, शंकर शर्मा आर पारस जैन ने महापौर सौम्या के इशारे पर उन्हें गेट पर रोक दिया और मारपीट और धक्का-मुक्की की। आयुक्त ने राज्य सरकार को लिखित में शिकायत की और ज्योति नगर थाने में मामला दर्ज करवाया। सरकार ने जून को शिकायत की जांच स्वायत्त शासन निदेशालय की क्षेत्रीय निदेशक को सौंप दी और 6 जून को जांच रिपोर्ट में चारों को दोषी मानते हुए सरकार ने महापौर व और तीन पार्षदों को निलंबित कर दिया। इसी दिन सरकार ने इन सभी के खिलाफ न्यायिक जांच भी शुरू करवा दी और 7 जून को राज्य सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए पार्षद शील धाभाई के कार्यवाहक महापौर बनाया। सौम्या गुर्जर ने सरकार के आदेश को पहले हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन 28 जून को हाईकोर्ट ने निलंबन आदेश पर स्टे देने से मना कर दिया। इसके बाद जुलाई में सौम्या गुर्जर सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां से 1 फरवरी 2022 को निलंबन ऑर्डर पर स्टे मिला। इसके बाद 2 फरवरी को सौम्या गुर्जर ने वापस मेयर की कुर्सी संभाली। अभी हाल ही में 11 अगस्त को सौम्या और 3 अन्य पार्षदों के खिलाफ न्यायिक जांच की रिपोर्ट आई, जिसमें सभी को राज्य सरकार ने दोषी माना और 22 अगस्त को सरकार ने तीनों पार्षदों को बर्खास्त कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर न्यायिक जांच की रिपोर्ट पेश की तथा 23 सितम्बर को सुप्रीम कोर्ट से मिले आदेश के मुताबिक 2 दिन का समय बीतने के बाद सौम्या गुर्जर को सरकार ने बर्खास्त कर दिया है।

चीन सीमा पर 80 गाँवों में मोबाइल नैटवर्क नहीं

नैनीताल, 27 सितंबर (वार्ता)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चीन सीमा से सटे उच्च हिमालयी क्षेत्र के 80 गांवों में मोबाइल नेटवर्क व इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होने के मामले को गंभीरता से लेते हुए केन्द्र सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है।

उच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 में धारचूला की एक शिक्षिका के पत्र का संज्ञान लेते हुए इस मामले में एक जनहित याचिका दायर की है और साथ ही अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली को न्यायमित्र अधिवक्ता नियुक्त किया है।

- उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया और कहा कि, यहां के करीब 66 हजार लोग नेपाल व चीन के नैटवर्क पर निर्भर हैं

न्यायमित्र अधिवक्ता की ओर से अदालत में पेश प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन सीमा से सटी धारचूला तहसील 2690 वर्ग कि.मी. में फैली है। इसमें से 2686.77 वर्ग कि.मी. ग्रामीण क्षेत्र है।

'शांति धारीवाल और सचेतक महेश जोशी अनुशासनहीन, इनके खिलाफ हो अनुशासनात्मक कार्यवाही'

दिव्या मदेरणा ने यह भी कहा -आलाकमान की ओर से सी.एल.पी. लीडर ने मीटिंग आहूत की, जोशी ने अधिकृत सूचना दी, संसदीय कार्य मंत्री, चीफ व्हिप मीटिंग का बॉयकॉट करते हैं, ये अनुशासनहीनता है

- महेश जोशी बोले, नोटिस आया, सजा मिली तो भुगतने को तैयार।
- इसी बीच कई विधायकों के सुर बदले, बोले- आलाकमान जो फैसला करेगा, हम उसके साथ।

जयपुर, 27 सितम्बर (का.प्र.)। कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल और सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी को अनुशासनहीन बताते हुए आलाकमान से इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की मांग की है। वहीं बदलते घटनाक्रम के बीच राजस्थान के कई विधायकों ने संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के निवास पर हुई बैठक के घटनाक्रम से खुद को अलग करते हुए कहा है कि आलाकमान जो भी निर्णय करेगा, वह उस निर्णय के साथ हैं। पूरे घटनाक्रम को लेकर आलाकमान के सख्त रुख के बाद में मुख्य सचेतक महेश जोशी ने भी खुद को निर्दोष बताया है। साथ ही कहा है कि यदि उन्हें नोटिस मिलता है और कोई सजा भी मिलती है, तो उसे भुगतने के लिए तैयार हैं।

इससे पहले कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं। हम कांग्रेस आलाकमान के वफादार एवं अनुशासित सिपाही हैं। आलाकमान की ओर से कांग्रेस विधायक दल लीडर (सीएलपी) ने मीटिंग आहूत की। महेश जोशी ने अधिकृत रूप से सबको सूचना दी। खुद संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल और चीफ व्हिप डॉ महेश जोशी मीटिंग का बायकॉट करते हैं। ये बिल्कुल अनुशासनहीनता की कैटेगरी में आता है। उनके साथ कोई विधायक नहीं हैं। सब आज खुलकर आने लग गए हैं। उन्हें धोखे से बुलाया गया। बुलाकर आगे पुलिस लगा दी गई। बसों पर और विधानसभा स्पीकर डॉ सीपी जोशी के घर पर पुलिस लगा दी गई और जबरदस्ती उन्हें वहां पर ले गए। अब सब विधायक आ आकर कह रहे हैं कि हम इसके साथ नहीं हैं। हमारी सहमति नहीं है। हमने इस्तीफा नहीं दिया। दिल्ली को धत्ता बताकर हाईकमान को चैलेंज करके अपने कामों को छिपाने के लिए वह (शांति धारीवाल और महेश जोशी) अब माकन पर आरोप लगा रहे हैं।

इसी के साथ दिव्या मदेरणा ने संसदीय कार्य मंत्री और मुख्य सचेतक के किसी भी आदेश को मानने से मना करते हुए कहा कि मैं बाध्य नहीं हूं, क्योंकि उनकी पवित्रता और विश्वसनीयता क्या है? उन्होंने ही मुझे फोन करके कहा कि कल आपको 7 बजे की मीटिंग में पहुंचना है। कांग्रेस के अधिकृत ऑब्जर्वर्स वहां आएंगे। वन लाइन रेजोल्यूशन पास होगा। वन ऑन वन विधायकों से मिलेंगे। वही अब मुझे फोन करके कह देंगे कि विधायक दल की मीटिंग कहीं और फलाना होटल में है, तो कल को हमारी निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। इसी के साथ दिव्या ने कहा कि आलाकमान जिसको भी मुख्यमंत्री बनाएगा, मैं उसके साथ हूँ। जब मीडिया ने पूछा कि आलाकमान ने तो सचिन पायलट के लिए ऑब्जर्वर भेजा था, तो दिव्या बोलीं कि नहीं बिल्कुल गलत बात है। क्या आपको किसी ने ये बात बताई है?

वही पूरे मामले को लेकर संदेह के घेरे में आए मुख्य सचेतक डॉ महेश जोशी ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि विधायक दल की बैठक होगी और ऑब्जर्वर आएंगे, ये मेरा या सीएम का मैसेज नहीं, केसी वेणुगोपाल का मैसेज था। जो हमारे संगठन महामंत्री हैं। उसमें कहां लिखा था कि रायशुमारी होगी? उसमें नहीं लिखा था कि रायशुमारी होगी। अजय माकन ने मुझे आदेश दिया होता कि हम विधायक दल की बैठक कर रहे हैं, उसमें रायशुमारी भी होगी। तो मैं विधायक दल की बैठक की सूचना देता और उसमें सारे विधायकों को यह कहता कि रायशुमारी भी होगी। इसलिए ये आरोप मुझ पर लगाना गलत है। मेरी पार्टी के प्रति निष्ठा पर मैंने आज तक कोई प्रश्न वाचक चिन्ह नहीं लगने दिया है।

जोशी ने कहा कि आलाकमान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। आलाकमान तो बुलाकर इस्तीफा भी ले सकता है। यदि मुझे नोटिस आया, सजा मिली तो सजा भुगतने को भी तैयार हूं।

वहीं इस मामले में आलाकमान के सख्त रुख को देखते हुए मंत्री-विधायकों के रुख भी बदल गए हैं। इस मामले में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कोई लेना देना नहीं है।

जहां तक अनुशासनहीनता की बात है, तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। फिर भी हमें नोटिस मिलेगा या अजय माकन हमसे नाराज हैं, तो हम उन्हें मना लेंगे और नोटिस का भी जवाब देंगे।

दूसरी ओर विधायक संदीप यादव, जोगिंदर सिंह अवाना, जितेंद्र सिंह, खुशवीर सिंह जोजावर और मदन प्रजापत ने भी कहा की जो भी घटना हुई, उसे सही नहीं कहा जा सकता। इन सभी विधायकों की ओर से मीडिया से कहा गया है कि आलाकमान जो भी फैसला करेगा, वह आलाकमान के साथ हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नजदीकी माने जाने वाले विधायक मदन प्रजापत ने तो यह भी कहा है कि जो भी घटना हुई, वह गलत थी।

वहीं उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान में सचिन पायलट निश्चित तौर पर बेहतर परिणाम दे सकते हैं।

एक अक्टूबर से शुरु होगी 5जी सर्विस

नई दिल्ला, 27 अक्टूबर (वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक अक्टूबर को देश के पांचवी पीढ़ी की दूरसंचार सेवा 5 जी को लाँच करेंगे।

राजधानी के प्रगति मैदान में एक अक्टूबर से चार अक्टूबर तक चलने वाले इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आई.एम.सी.) के उद्घाटन के अवसर पर मोदी इस सेवा को शुरू करने वाले हैं।

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रगति मैदान (नई दिल्ली) में इस सेवा का शुभारम्भ करेंगे

हालांकि इस संबंध में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गयी है लेकिन दूरसंचार मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री उस दिन देश में 5 जी इंटरनेट सेवा की शुरूआत कर सकते हैं।

मौखिक व लिखित रिपोर्ट में इतना फर्क क्यों है?

खड़गे ने अपनी रिपोर्ट में कहा बताया कि, गहलोत की "बगावत" में कोई भूमिका नहीं थी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 सितम्बर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बुधवार को दिल्ली जाने और वहां पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को यह समझाने की उम्मीद है कि उनके धुर प्रतिद्वंद्वी सचिन पायलट को उनके स्थान पर मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावनाओं के खिलाफ उनके समर्थकों द्वारा विद्रोह का झण्डा उठाने में उनकी कोई भूमिका नहीं है।

यही नहीं गहलोत पार्टी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भी भर सकते हैं, बशर्ते पार्टी नेतृत्व की ओर से उन्हें यह संकेत मिल जाए कि उनकी संभावनाओं को समाप्त करने के लिए किसी और व्यक्ति को पार्टी का आधिकारिक प्रत्याशी नहीं बनाया जाएगा।

स्थिति मंगलवार को तब बदली जब राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया को एक लिखित रिपोर्ट देकर मामले की एक बेहतर छवि पेश की। इसमें तर्क दिया गया कि पार्टी विधायकों द्वारा त्याग पत्र देने की धमकी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन वह इस बात से संतुष्ट हैं कि गहलोत की विद्रोह में कोई भूमिका नहीं थी। एक अलग परिदृष्य तब उभरा जब सोनिया गांधी ने खड़गे और राजस्थान में ए.आई.सी.सी. के प्रभारी महासचिव अजय माकन, दोनों से रिपोर्ट मांगी थी। माकन और खड़गे को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित की जाने वाली कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी (सी.एल. पी.) मीटिंग में बतौर पर्यवेक्षक जयपुर भेजा गया था।

खड़गे की रिपोर्ट माकन द्वारा सोमवार शाम को किए गए दावों से बिल्कुल ही अलग है। सोनिया गांधी से 10 जनपथ स्थित आवास पर बातचीत करने के बाद माकन ने पत्रकारों से बात करते हुए ये दावे किए थे। इससे पहले के घटनाक्रम में गहलोत तुरंत प्रभाव से उस होटल में पहुंचे, जहां ये दोनों पर्यवेक्षक ठहरे हुये थे। हालांकि माकन गहलोत से मिले बिना होटल से चले गए, जबकि खड़गे ने उन्हें सलाह दी थी कि यदि दोनों गहलोत की बात सुनें तो बेहतर होगा।

यहां तक कि पार्टी की सीनियर नेता अंबिका सोनी, जो कि राजस्थान के घटनाक्रमों को लेकर व्यथित और आवेशित थीं, ने भी खड़गे से बात करने के बाद अपना मानस बदल लिया। उन्होंने कहा कि "उन्होंने वास्तव में पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बगावत नहीं की है। वह सोनिया गांधी के सम्पर्क में हैं।"

स्कूल के बाथरूम में नाबालिग के साथ रेप

- किशोरी की मां की रिपोर्ट पर गुडामालानी थाने में मामला दर्ज किया गया है तथा आरोपी की तलाश की जा रही है।
- बताया जाता है कि, मामला 24 सितम्बर का है, जब किशोरी गाय का गोबर लेने घर से निकली थी।
- घर से कुछ दूर सरकारी स्कूल की दीवार पर बैठे गोपाल सिंह ने बालिका को धोखे से स्कूल में बुला लिया और स्कूल के बाथरूम में रेप किया।

गुड़ामालानी, (निसं)। बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय नाबालिग बच्ची का स्कूल के बाथरूम में रेप करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने नाबालिग की मां की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है तथा किशोरी का मेडिकल करवाकर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।

पुलिस के अनुसार 24 सितंबर को दोपहर के समय नाबालिग बच्ची घर से गाय का गोबर लेने के लिए गई थी। घर से कुछ दूरी पर सरकारी स्कूल की दीवार पर छूटटी के बाद उसी के गांव का गोपालसिंह पुत्र मदनसिह बैठा था। उसने किशोरी से कहा कि गोबर स्कूल के बाथरूम के आगे पड़ा है। नाबालिग विश्वास में आकर स्कूल के अंदर चली गई। स्कूल में घुसते ही आरोपी ने किशोरी का अपने हाथ से मुंह बंद कर दिया और बाथरूम में ले जाकर रेप किया। नाबालिग के चिल्लाने पर गांव की महिलाएं वहां आई तो उन्हें देखकर आरोपी भाग गया। रोते-रोते नाबालिग घर पहुंची और मां को सारी बात बताई। नाबालिग के पिता काम के सिलसिले बाहर गए हुए थे। नाबालिग की मां ने आरोप लगाया कि आरोपी ने मुझे व मेरी बच्ची को डराया धमकाया। सोमवार को नाबालिग की मां ने पुलिस थाने रिपोर्ट की तब मामला दर्ज किया गया।

गुड़ामालानी थानाधिकारी रमेश ढाका के मुताबिक नाबालिग की मां की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है। वहीं नाबालिग का मेडिकल करवा दिया गया है तथा आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पूरे मामले की जांच डीएसपी शुभकरण द्वारा की जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

दिल्ली पर नियंत्रण

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 सितम्बर। पांच जजों की एक संविधान बैंच ने राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं को लेकर केन्द्र और दिल्ली सरकार की शक्तियों के संबंध में आगामी 9 नवम्बर से दिन-प्रतिदिन की सुनवाई नियत की है। जस्टिस डी.वाय. चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बैंच ने कहा कि "जैसा कि पेपरलैस ग्रीन बैंच ने मंगलवार को किया इसे 9 नवम्बर की प्रात: 10 बजे के लिए लिस्ट किया जाए।" बैंच में जस्टिस एम.आर. शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली और पी.एस. नरसिम्हा भी थे। विवाद तब खड़ा हुआ जब दिल्ली के लैफ्टिनैंट गवर्नर ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता वाली निर्वाचित आप सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को दरकिनार करते हुए दिल्ली सरकार के सीनियर अधिकारियों की नियुक्तियां और स्थानांतरण कर दिए। शीर्ष अदालत ने गत 6 मई को इस मुद्दे को पांच जजों की संविधान बैंच को यह टिप्पणी करते हुए रैफर कर दिया था कि वह दिल्ली सरकार में सेवाओं पर नियंत्रण के सीमित मुद्दे पर सुनवाई करेगी क्योंकि इस मुद्दे पर उस संविधान बैंच ने विचार नहीं किया था, जिसने सभी विधिक प्रश्नों पर विस्तार से सुनवाई की थी। दिल्ली सरकार ने जस्टिस ए.के. सीकरी और अशोक भूषण की बैंच के एक विभाजित फैसले के कारण याचिका दायर की थी।

इलैक्ट्रिक कार

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 सितम्बर। चीन का घरेलू इलैक्ट्रिक कार मार्केट वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ रहा है। इस वर्ष देश में खरीदी गई करीब एक चौथाई नई कारें इलैक्ट्रिक या प्लग इन हाईब्रिड होंगी। चीन में इतनी इलैक्ट्रिक कारें बेची जाएंगी जितनी शेष दुनिया में मिलाकर भी नहीं बेची जाएंगी।

कुछ अनुमानों के अनुसार प्रतिद्वंदी टैस्ला और जर्मन ऑटोमेकर्स की तुलना में तीन सौ से अधिक चाइनीज़ कम्पनियां 5 हजार डॉलर से कम और हाई एण्ड मॉडल्स सहित ई.बी.एस. बना रही हैं। देश में करीब 4 मिलियन चार्जिंग यूनिट्स हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में दोगुनी हैं। दुनिया के शीर्ष 10 ई.वी. ब्रॉण्ड्स में से आधे चाइनीज़ हैं। जहां अन्य ई.वी. मार्केट्स अब भी अधिकतर सब्सिडीज़ पर आधारित हैं, वहीं चीन एक नए चरण में प्रवेश कर गया है। उपभोक्ता देश के सहयोग की अधिक परवाह ना करते हुए फीचर्स और कीमत के आधार पर इलैक्ट्रिक व्हीकल्स के गुण-दोष पर विचार कर रहे हैं।

विधायक दल की समानांतर बैठक के लिए मुख्यमंत्री के नजदीकी धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेन्द्र राठौड़ को कारण बताओ नोटिस

माकन और खड़गे की रिपोर्ट में मु.मंत्री गहलोत की भूमिका पर सवाल, लेकिन लिप्त होने के प्रमाण नहीं, इसलिए नोटिस नहीं दिया गया

- धारीवाल, महेश जोशी व धर्मेन्द्र राठौड़ को नोटिस का जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है।
- आलाकमान द्वारा बुलाई गई बैठक के समानान्तर विधायकों की मीटिंग करने में धारीवाल, जोशी और धर्मेन्द्र राठौड़ की प्रमुख भूमिका मानी गई है, इनमें से राठौड़ ही हैं जो विधायक नहीं हैं फिर भी इस मीटिंग में अति सक्रिय थे, वे आर.टी.डी.सी. के चेयरमैन हैं।

जयपुर, 27 सितम्बर (का.प्र.)। आलाकमान की ओर से गत 25 सितंबर को जयपुर में बुलाई गई कांग्रेस विधायक दल की बैठक के समानांतर बैठक कर मुख्य बैठक का बहिष्कार करने तथा इस मामले में प्रमुख भूमिका निभाने वाले संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, मुख्य सचेतक महेश जोशी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खास आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ को कांग्रेस आलाकमान की ओर से प्रभारी महासचिव अजय माकन तथा पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे की रिपोर्ट के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस का जवाब 10 दिन में मांगा गया है और संतुष्ट नहीं होने पर आलाकमान इन तीनों के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर सकता है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नंबर दो शांति धारीवाल और नंबर 3 मुख्य सचेतक महेश जोशी सहित उनके लिए लगातार काम करने वाले धर्मेंद्र राठौड़ को कारण बताओ नोटिस मिलने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि प्रभारी अजय माकन और पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे की रिपोर्ट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भूमिका पर सवाल तो उठाए गए हैं, लेकिन उनका सीधे तौर पर शामिल होने के कोई सबूत नहीं होने के कारण उन्हें नोटिस नहीं दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल पर विधायकों को एकजुट रखने का जिम्मा है और यदि वही अपने घर पर समानांतर बैठक बुला रहे हैं, तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जरुरत समझी गई।

वहीं मख्य सचेतक महेश जोशी का काम सभी विधायकों को विधायक दल की बैठक के आयोजन की जानकारी देने के साथ ही बैठक में बुलाने का जिम्मा है, लेकिन मुख्य सचेतक ने विधायकों को सूचना देना तो दूर, खुद भी बैठक का बहिष्कार किया और संसदीय कार्य मंत्री के घर हुई समानान्तर बैठक में मौजूद रहे। इस कारण वह भी अनुशासनात्मक कार्यवाही के दायरे में आ गए हैं।

मुख्यमंत्री के बेहद खास और आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ विधायक नहीं है इसके बावजूद भी संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के सरकारी निवास पर होने वाली समानांतर विधायक दल की बैठक में वे ना सिर्फ मौजूद रहे, बल्कि बैठक के बाद विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी जोशी के निवास पर बस में बैठाकर ले जाने के समय विक्ट्री साइन दिखाते हुए भी नज़र आए। ऐसे में प्रभारी महासचिव अजय माकन और पर्यवेक्षक मकार्जुन खड़गे की ओर से माना गया कि विधायकों को यहां लाने और ले जाने की व्यवस्था में धर्मेंद्र राठौड़ की भी प्रमुख भूमिका रही है। ऐसे में उन पर भी अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की सिफारिश करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

सलेक्टिव मीडिया, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा आर.एन.आई. नं. 28446/75, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908